कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जशपुर, छ.ग.
(जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई)

(dpmu.jas@gmail.com, cmohealth@gmail.com, ddojashpur@gmail.com)
Ph No 07763223375, Fax No- 07763220654

क्रमांक/स्वा./एनएचएम/2021–22/583 जशपुर, दिनांक 23 OCT 2021

//संशोधित आदेश//

जिला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापन क्रमांक/557/एन.एच.एम./संविदा भर्ती/2020–21 जशपुर दिनांक 23.01.2021 अनुसार रिक्त संविदा पदों पर भरे जाने हेतु चयन समिति के अनुशंसा पर निम्नांकित अभ्यर्थी को **काउंसलर (संविदा)** के पद पर नियुक्ति दिया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शित स्वास्थ्य संस्था में नीचे लिखे शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	चयन प्रवर्ग	पद स्थापना स्थान
01.	सलमान टोप्पो	श्री जीवन्त टोप्पो	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जन जाति	सामु. स्वा. केन्द्र कुनकुरी

–: नियुक्ति शर्त :–

01. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन नीति 2018 के अंतर्गत होगी।
02. छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की अन्य(अन्य शर्तें) लागू होगी।
03. संविदा पर रू 12000/– (बारह हजार रूपये) प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय की पात्रता होगी।
04. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन अनुसार देय होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।
05. संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता देय होगा।
06. संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2022 तक के लिये होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोष जनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृत के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
07. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिन की आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के अनुपातिक आधार पर की जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को अगामी पूर्ण दिवस से पूर्णतः किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्ताविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिये ही की जा सकती है। अतः प्रसूति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 180 दिन की होगी।
08. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
09. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या [illegible] आदि की पात्रता नही होगी।
10. चयनित अ[illegible] कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड [illegible] उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण –पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

10.1 प्रसूति उपरांत, प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी के द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी।

10.2 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः महीने पश्चात् ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

10.3 अनुबंध के समय के समय अभ्यर्थियों को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे :–

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची ।
- संबंधितों पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शौक्षणिक योग्यता की अंकसूची।

Scanned with CamScanner